



संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन,

क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी का कार्यालय,

सूचना एवं प्रचार विभाग,

समाहर्तालय, ढोलर, मोटी दमण - 396220

ईमेल: fieldpublicitydaman@gmail.com

No: आईपी/दमण/पीआरपी 2023/2023-24/103

दिनांक: 04/12/2024

परिपत्र / CIRCULAR


विषय: प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण अधिनियम, 2023 की धारा 12(2) की उपधारा (2) के अनुपालन करने के संबंध में ...

महोदय/महोदया,

एतद्वारा प्रदेश के सभी मीडिया के प्रतिनिधियों को सादर सूचित किया जाता है कि प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण अधिनियम, 2023 की धारा 12 (2) की उपधारा (2) के तहत सभी प्रकाशकों को समाचार पत्र प्रकाशन के 48 घंटे की भीतर समाचार पत्र के प्रत्येक अंक की एक-एक प्रति अनिवार्य रूप से सूचना एवं प्रचार विभाग को रिकॉर्ड हेतु निःशुल्क जमा कराना अनिवार्य है। प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण अधिनियम, 2023 की धारा 12 (2) की उपधारा (2) की जानकारी इस प्रकार दी हुई है :-

“(2) The publisher of every newspaper in India shall, subject to any rules made under this Act, deliver free of cost to the Press Registrar General and to the State Government one copy of each issue of such newspaper within forty-eight hours.”

अतः आप सभी प्रकाशकों से अनुरोध है कि उपरोक्त अधिनियम की पूर्णता से अनुपालन करते हुए समाचार पत्र के प्रत्येक अंक की एक-एक प्रति सूचना एवं प्रचार विभाग को अनिवार्य रूप से भेजें जिससे कि विभाग द्वारा उनका रिकॉर्ड रखा जा सके।


(प्रियांशु सिंह)

क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी/
उप समाहर्ता (मु.),
दमण।

सेवा में,

सभी समाचार पत्रों के प्रकाशकों/रिपोटर

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु :

1. समाहर्ता, समाहर्तालय, दमण
2. सचिव (सूचना एवं प्रचार), सचिवालय, दमण
3. निदेश सह संयुक्त सचिव (सूचना एवं प्रोद्योगिकी), सचिवालय, दमण।